न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 15/2017

सरकार जरिये सन्दीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री रामनारायण चौधरी (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स योगेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर,
गंगाधाम मोड के पास, तह0 बस्सी,
जिला जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 23/01/2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री सन्दीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2017 को कार्यालय में दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस थाना बस्सी की निशानदेही पर मैसर्स योगेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर गंगाधाम मोड के पास, तहसील बस्सी जिला जयपुर के विक्रेता एवं मालिक श्री रामअवतार गुप्ता के घर पर रिफाइण्ड पाम ऑयल (गोपी किरण) टिन पैकेट 15 कि.ग्रा. के 9 नग सिल्ड, लोक में रखे हुये थे जिनमें मिलावट का संदेह होने पर वास्ते नमूना जाँच, सिल्ड टिन से सिल्ड भाग के सामने वाले हिस्से में छेद कर 1600 ग्राम रिफाइण्ड पाम ऑयल (गोपी किरण) वास्ते नमूना जांच AN-1264 खरीद कर जिसकी कीमत 160/– रूपये विक्रेता को नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की तथा साथ ही उक्त सील्डशुदा टीन पर चस्पा मूल लेबल वजह सबूत प्राप्त किया गया जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री विनोद थारवान के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक स्वयं खाघ सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता श्री रामअवतार गुप्ता से वर्ष 2017 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा उन्होनें मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जो संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ कर, सुना कर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रामअवतार गुप्ता ने भी पढ कर समझ कर व सही मान कर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री रामअवतार गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। खरीद शुदा 1600 ग्राम रिफाइण्ड पाम ऑयल (गोपी किरण) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा रिफाइण्ड पाम ऑयल (गोपी किरण) को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक AN-1264 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीयकी हस्ताक्षशुदा पेपर स्लिप नं. Ac-1264 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना डिब्बों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाघ सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र कमांक एफएसएसए/2017/26 दिनांक 23.01.2017 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/12/एक्ट/2017/77 दिनांक 17.01.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाइण्ड पाम ऑयल (गोपी किरण) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी को पत्रांक/एफएसएसए/2017/209 दिनांक 26.10.2017 पत्र लिखा जिस पर प्रतिवादी विक्रेता ने व्यत्तिशः उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक/एफएसएसए/2017/271 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (गोपी किरण) विक्रय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (गोपी किरण) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विकय/निर्माण करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से खाद्य पदार्थ में ऐसी कोई में मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थी न तो खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल (गोपी किरण) का उत्पादन करता है एवं ना ही अप्रार्थी ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। धारा 52 में प्रथम बार मिसब्राण्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विकय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 11,000/–(अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर

Scanned by CamScanner